

पेपर 4 : कराधान

खंड A : आय कर

भाग I : वैधानिक अपडेट

31 अक्टूबर, 2017 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/प्रपत्र सहित जैसा वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया है मई 2011 की परीक्षा के लिए लागू है। मई 2018 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारित वर्ष 2018-19 है। मई 2018 परीक्षा के लिए प्रासंगिक 31.10.2017 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचना/परिपत्र जो अध्ययन सामग्री का जुलाई 2017 के संस्करण में कवर नहीं है को नीचे दिया गया है।

अध्याय 2 : आवास तथा कुल आय का स्कोप

एक भारतीय बैंक के साथ रखे अनिवासी (बाहरी) खाता में पारिश्रमिक को प्राप्त करने वाले अनिवासी नाविक की भारत में आयकर से दायित्व के संबंध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 13/2017, दिनांक 11.04.2017]।

विदेशी जहाज पर सवार भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए अनिवासी नाविक द्वारा प्राप्त वेतन के जरिये आय भारत में कर के तहत है इस कारण से नाविक द्वारा प्राप्त वेतन को नाविक द्वारा भारत में रखे अनिवासी (बाहरी) बैंक खाता में प्राप्त किया है। इस संबंध में अभ्यावेदन को प्राप्त करने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मामला का परीक्षण किया। यह नोट किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5(2)(a) प्रदान करता है कि एक अनिवासी की इस प्रकार की आय भारत में कर योग्य होगी जिसे या तो भारत में प्राप्त किया है अथवा भारत में प्राप्त के रूप में माना गया है।

तदनुसार CBDT ने स्पष्ट किया है कि विदेश में जाने वाला जहाज (भारत के अथवा विदेशी भाड़े के साथ) पर भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए अनिवासी नाविक को उपार्जित वेतन केवल कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा कि उक्त वेतन को नाविक द्वारा एक भारतीय बैंक के साथ रखे अनिवासी बाहरी खाता में क्रेडिट किया गया है।

अध्याय 4 : आय की शीर्ष यूनिट IV: पूंजीगत लाभ

धारा 54EC के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा करने के उद्देश्य के लिए अधिसूचित निर्दिष्ट दीर्घकालीन सम्पत्ति [अधिसूचना 47/2017, दिनांक 08.06.2017 तथा अधिसूचना संख्या 79/2017, दिनांक 08.08.2017]

धारा 54EC दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के अंतरण से पूंजी लाभ की प्रभारयोग्यता की विमुक्ति को प्रदान करता है जहां पर करनिर्धार ने पूंजी लाभ का समस्त अथवा भाग का दीर्घकालीन निर्दिष्ट सम्पत्ति में निवेशित किया है। धारा 54EC का स्पष्टीकरण का वाक्य (ba) के अनुसार 'दीर्घकालीन निर्दिष्ट सम्पत्ति का अर्थ राष्ट्रीय महा मार्ग प्राधिकरण (NHAI) अथवा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (RECL) अथवा इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बांड के द्वारा 01.04.2007 को अथवा उसके पश्चात् जारी तथा तीन वर्ष के पश्चात् विमोचनयोग्य बांड से है।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना के जरिये 08.08.2017 को अथवा उनके पश्चात् भारतीय रेलवे कार्पोरेशन लि. के द्वारा अथवा 15.06.2017 को अथवा उसके पश्चात् पावर फाइलेंस लि. के द्वारा जारी तथा तीन वर्षों के पश्चात् निमोचनयोग्य बांड को अधिसूचित किया है।

अध्याय 4: आय का शीर्ष
यूनिट V: अन्य स्रोत से आय

धारा 2(22)(e) के अन्तर्गत व्यापार अग्रिम को माना लाभांश के रूप में ना मानने का स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 19/2017, दिनांक 12.06.2017]

धारा 2(22)(e) प्रदान करता है कि "लाभांश" में, एक कम्पनी द्वारा जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हित नहीं रखती, एक अंशधारक जो मताधिकार का 10% से कम नहीं की अंशधारिता का हितग्राही स्वामी है अथवा किसी संस्था को जिसमें इस प्रकार का अंशधारक सदस्य है अथवा साझेदार है तथा जिसमें उसका पर्याप्त हित है अथवा उसकी तरफ से इस प्रकार की कम्पनी द्वारा भुगतान अथवा इस प्रकार के अंश धारक के व्यक्तिगत लाभ के लिए उस हद तक जिसमें कम्पनी एकत्रित लाभ को रखती है को अग्रिम अथवा ऋण के जरिये किसी राशि का भुगतान करती है, शामिल है।

CBDT ने अवलोकित किया है कि वाणिज्यिक सौदे की प्रकृति में व्यापार अग्रिम धारा 2(22)(e) की प्रावधान की परिधि में नहीं आयेगे तथा इस प्रकार का मत अंतिम है।

उपरोक्त के मत में, केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह निपटायी गयी स्थिति है के व्यापार अग्रिम जो वाणिज्यिक सौदे की प्रकृति में है, धारा 2(22)(e) में शब्द 'अग्रिम की परिधि में नहीं आयेगा तथा इसलिए इसे माना लाभांश नहीं माना जायेगा।

अध्याय 9: अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती

अव्यस्क बच्चे को उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती जहां पर दोनों माता पिता की मृत्यु हो गयी है।

आयकर नियम, 1962 का नियम 31A(5) के अन्तर्गत आयकर का महानिदेशक (सिस्टम) विवरणों को जमा करने तथा सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रक्रिया, फॉर्मेट तथा मानक को निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत है तथा इस प्रकार निर्दिष्ट तरीके में विवरण को जमा करने तथा सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा।

आयकर का प्रमुख निदेशक (सिस्टम) ने CBDT द्वारा नियम 31A(5) के द्वारा भारार्पित अधिकार के उपयोग में निर्दिष्ट किया है कि अव्यस्क के मामले में जहां पर दोनों माता-पिता की मृत्यु हो गयी है, अव्यस्क को उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) करनी होगी तथा अव्यस्क बच्चे के PAN के विरुद्ध रिपोर्ट करना होगा जब तक नियम 37BA(2) के अन्तर्गत एक घोषणा को फाइल ना किया हो कि कर कटौती के लिए क्रेडिट को एक अन्य व्यक्ति को दिया जाये।

पूँजीगत लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत जमा पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती जहां पर जमाकर्ता की मृत्यु हो गयी है – अधिसूचना संख्या 08/2017, दिनांक 13.09.2017

आयकर का प्रमुख महानिदेशक (सिस्टम ने नियम 31A(5) के अन्तर्गत CBDT द्वारा डेलीगेटिड अधिकारों के उपयोग में इस अधिसूचना के जरिये निर्दिष्ट किया है कि पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988 के अन्तर्गत जमा के मामले में जहां पर जमाकर्ता की मृत्यु हो गयी है:

- (i) जमाकर्ता की मृत्यु की अवधि तक तथा के लिए उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती को काटने की आवश्यकता है तथा जमाकर्ता की PAN के विरुद्ध प्रतिवेदन करना है।
- (ii) जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात् अवधि के लिए उपार्जित ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती को काटने की आवश्यकता है तथा कानूनी वारिस के विरुद्ध प्रतिवेदित करना है।

जब तक नियम 37BA(2) के अन्तर्गत घोषणा को फाइल ना किया हो कि कर कटौती के लिए क्रेडिट एक अन्य व्यक्ति को दिया जाए।

एक एअरलाइन द्वारा हवाई अड्डा परिचालक को यात्री सेवा शुल्क (PSF) का प्रेषण पर धारा 194-I के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है [परिपत्र संख्या 21/2017, दिनांक 12.06.2017]

धारा 194-I किराया के जरिये एक निवासी की निर्दिष्ट प्रतिशत पर स्रोत पर कर कटौती को करने के लिए कहता है। इस धारा का स्पष्टीकरण किराया की शब्द को भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा स्वामित्व में सभी (a) अथवा कोई जमीन अथवा (b) भवन अथवा (c) एक भवन से जुड़ी जमीन अथवा (d) मशीनरी; (e) प्लांट; (f) यंत्र; (g) फर्नीचर अथवा फिटिंग, का किसी पट्टा, उप-पट्टा किरायादारी अथवा किसी अन्य समझौते अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत भुगतान जिसे कोई भी नाम देवें के रूप में परिभाषित करता है।

किसी भुगतान की किराया के रूप में प्रमुख आवश्यकता है कि भुगतान जमीन तथा भवन के उपयोग के लिए होनी चाहिए तथा उसका केवल सांयोगिक/मामूली उपयोग जबकि अन्य सुविधाओं तथा सेवा को प्रदान किया जाता है इसे जमीन तथा भवन के उपयोग के लिए भुगतान नहीं बनाता ताकि यह धारा 194-I को आकर्षित कर सके।

तदनुसार, CBDT ने इस परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि धारा 194-I का प्रावधान एक एअरलाइन द्वारा हवाई अड्डा परिचालक को यात्री सेवा शुल्क पर लागू नहीं होगा।

निवासी को किये गये भुगतान से मिलकर वस्तु तथा सेवा कर पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) के संबंध में स्पष्टीकरण [परिपत्र संख्या 23/2017 दिनांक 19.07.2017]

CBDT ने परिपत्र संख्या 1/2014 दिनांक 13.01.2014 के जरिये स्पष्ट किया है कि जहां पर भुगतानकर्ता तथा भुगतान प्राप्तकर्ता के मध्य समझौते अथवा संविदा की शर्तों में एक निवासी को भुगतानयोग्य राशि में मिला सेवा कर का हिस्सा का पृथक् रूप से दिखाया है, भुगतान अथवा भुगतानयोग्य राशि पर स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

इस प्रकार के सेवा के GST को सम्मिलित किये बिना काटा जायेगा GST में एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर, केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर, राज्य वस्तु तथा सेवा कर तथा केंद्र शासित वस्तु तथा सेवा कर सम्मिलित होगा।

आगे, इस परिपत्र के उद्देश्य के लिए 01.07.2017 से पहले किये गये विद्यमान समझौते अथवा संविदा में 'सेवाकर' का कोई संदर्भ को इस प्रकार के समझौते अथवा संविदा की समाप्ति तक 01.07.2017 की अवधि के संबंध में सेवा पर GST माना जायेगा।

अध्याय 10: आय की विवरणी को फाइलिंग करने के लिए प्रावधान

ई-विवरणी मध्यवर्ती के लिए अहर्ता का स्कोप में कम्पनी सचिव लागत लेखांकन तथा ई-विवरणी तैयारकर्ता को सम्मिलित करने के लिए शामिल किया [अधिसूचना संख्या 66/2016, दिनांक 09.08.2016]

धारा 139(1B) आय की विवरणी का वैकल्पिक तरीके को प्रदान करता है अधिसूचना संख्या 210/2007, दिनांक 27.07.2007 के जरिये उक्त उद्देश्य के लिए आय की विवरणी को इलैक्ट्रॉनिक जमा करने की योजना, 2007 को अधिसूचित किया। योजना प्रदान करती है कि एक पात्र व्यक्ति अपने विकल्प पर एक ई-विवरणी मध्यवर्ती को अधिनियम के विभिन्न प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक आय की विवरणी को जमा कर सकता है जो इस प्रकार की विवरणी के डाटा का अंककरण करेगा तथा देय तिथि अथवा उससे पूर्व ई-विवरणी प्रशासक द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट सर्वर को इलैक्ट्रॉनिकली प्रेषित करेगा।

उक्त अधिसूचना का पैरा 5 ई-विवरणी मध्यवर्ती की योग्यता रखता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा अधिवक्ता की एक फर्म जिसे एक स्थायी खाता संख्या को आबंटित किया है तथा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा एक अधिवक्ता जिसे एक स्थायी खाता संख्या को आबंटित किया ई-विवरणी मध्यवर्ती के रूप में अहर्ता प्राप्त है।

इस अधिसूचना के जरिये, एक कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखांकक की फर्म, यदि फर्म को PAN का आबंटन किया तथा एक कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखांकक अथवा आयकर तैयारकर्ता जिसे स्थायी खाता संख्या का आबंटन किया है। ई-विवरणी मध्यवर्ती के लिए भी पात्र होगा।

व्यक्ति जिन्हें आय की विवरणी में तथा PAN का आबंटन के लिए आवेदन फॉर्म में आधार संख्या अथवा इनरोलमेंट संख्या उद्धरित करना आवश्यक नहीं है [परिपत्र संख्या 37/2017 दिनांक 11.05.2017]

धारा 139AA प्रत्येक व्यक्ति जो आधार संख्या को प्राप्त करने के लिए पात्र को अनिवार्य रूप से आय की विवरणी में तथा PAN का आबंटन के लिए आवेदन फॉर्म में, 1 जुलाई, 2017 को अथवा उसके पश्चात्, आधार संख्या अथवा इनरोलमेंट आवेदन संख्या को उद्धरित करना होगा। यद्यपि यह प्रावधान इस प्रकार की व्यक्ति अथवा श्रेणी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी अथवा राज्य अथवा किसी राज्य के भाग जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया, पर लागू नहीं होगा।

तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने 01.07.2017 के प्रभाव से इस अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया कि आधार संख्या के उद्धरण से संबंधित धारा 139A का प्रावधान एक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो आधार संख्या अथवा इनरोलमेंट संख्या को ग्रहण नहीं करता है तथा:

- (i) आसाम, जम्मू तथा कश्मीर तथा मेघालय के राज्य में निवासी है;
- (ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी है।
- (iii) गत वर्ष के दौरान किसी समय पर 80 वर्ष अथवा अधिक की आयु का है।

(iv) भारत का नागरिक नहीं है।

भाग II : प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न

1. एक अनिवासी श्री कविन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्न सौदे को किया:
 - (a) भारत में व्यवसाय के लिए पेटेंट का उपयोग करने से अनिवासी से ₹ 20 लाख को प्राप्त किया।
 - (b) श्रीलंका में व्यापार के लिए know how का उपयोग के लिए एक अनिवासी भारतीय से ₹ 15 लाख का समतुल्य विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया।
 - (c) भारत में तकनीकी सेवा को प्रदान करने के लिए शुल्क के रूप में एक भारतीय कम्पनी RR Ltd. से ₹ 7 लाख को प्राप्त किया।
 - (d) नेपाल में नये परियोजना के लिए संभाव्य अध्ययन के परिचालन के लिए भारत में निवासी R & Co. मुंबई से ₹ 5 को प्राप्त किया। तथा नेपाल में भुगतान किया।
 - (e) भारत के अंदर व्यापार का उद्देश्य के लिए अनिवासी के द्वारा ऋण लिये गये धन पर ब्याज की तरफ ₹ 8 लाख को प्राप्त किया। कोरिया में राशि को प्राप्त किया।

संक्षेप में परीक्षण करें क्या उपरोक्त प्राप्ति भारत में कर से वसूलीयोग्य है।
2. कारण सहित परीक्षण करें क्या निम्न प्राप्ति आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अन्तर्गत करयोग्य है अथवा नहीं:
 - (a) श्री आकाश ने चेन्नई का बाढ़ आपदा के कारण सम्पत्ति की हानि के लिए "सहायता फाउंडेशन" से क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 3,00,000 की राशि प्राप्त की।
 - (b) एक मूवी शूटिंग के लिए कृषि जमीन को किराया पर देने के लिए ₹ 60,000 का किराया को प्राप्त किया।
 - (c) श्री यतिन द्वारा गत वर्ष 2017-18 के दौरान एक घरेलू कम्पनी A Ltd. से ₹ 17 लाख का लाभांश प्राप्त किया।
 - (d) कनाड़ा में स्थित एक जमीन से श्री सुनील की ₹ 1,30,000 की कृषि आय।
3. श्री कश्यप 31.01.2018 को M/s ABC Ltd. की सेवा से 30 वर्ष तथा एक माह की सेवा को पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ उसने 30 वर्ष की आयु में 01.01.1988 को कम्पनी में उपस्थिति दर्ज की तथा सेवा निवृत्ति को निम्न प्राप्त किया:
 - (i) ₹ 5,50,000 की ग्रेच्युटी। वह ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कवर है।
 - (ii) उसके खाते में 330 दिवस का अवकाश शेष के लिए अवकाश नकदीकरण। उसके खाते में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिवस अवकाश को क्रेडिट किया।

- (iii) कम्पनी की योजना के अनुसार, उसे 31.01.2018 को कर दी गयी जिसे कम्पनी द्वारा 01.03.2015 को ₹ 5,00,000 में क्रय किया गया। कम्पनी ने कार के लिए उससे ₹ 2,00,000 को वसूला। कम्पनी ने सीधी रेखा पद्धति पर 15% पर वाहन का ह्रास किया।
- (iv) उसकी पेंशन कम्प्यूटेशन का 2/3 के लिए पेंशन की कम्प्यूटेशन के रूप में ₹ 3,00,000 प्राप्त हुए।
- (v) कम्पनी ने उसी सेवानिवृत्ति पर ₹ 8,000 का उपहार वाउचर को प्रस्तुत किया।

निम्न अन्य विवरण है:

- (i) उसने 01.04.2017 से 31.01.2018 की अवधि के लिए ₹ 20,000 का मूल वेतन और 50% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त किया। महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभ के लिए वेतन का भाग नहीं है।
- (ii) पेंशन की कम्प्यूटेशन के पश्चात् 01.02.2018 से 31.03.2018 की अवधि के लिए ₹ 7,000 प्रतिमाह का पेंशन को प्राप्त किया।

करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करें।

4. अगस्त 2016 में एक प्रथम बार गृह क्रेता श्री कैलाश ने ₹ 48 लाख के लिए आवासीय गृह के निर्माण के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक से ₹ 35 लाख की राशि का ऋण लिया। 12.05.2016 को ऋण का अनुमोदन किया। यह राशि बैंक द्वारा सीधे प्लेट प्रवर्तक को संपूर्ति की गई। निर्माण मई 2018 को पूर्ण हुआ है तथा मूलधन तथा ब्याज का पूर्णभुगतान ऋण की संपूर्ति के तुरंत पश्चात् आरंभ हुआ।

उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में परीक्षण करें:

- (i) क्या श्री कैलाश करनिर्धारण वर्ष के लिए ब्याज के संबंध में धारा 24 के अन्तर्गत कटौती का दावा कर सकता है?
- (ii) क्या धारा 80C तथा 80EE के अन्तर्गत कटौती करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कटौती का दावा किया जा सकता है?
5. श्री अभय ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए विज्ञानिक अनुसंधान के लिए उत्पन्न व्यय तथा किये गये भुगतान से संबंधित निम्न विवरण दिया:

क्र. संख्या	विवरण	₹ (लाख में)
(i)	अनुमोदित कृषि अनुसंधान संस्था को किया गया भुगतान	25
(ii)	एक अनुमोदित विश्वविद्यालय RR University को किया गया भुगतान	15
(iii)	XY College को भुगतान किया	17

(iv)	IIT, Madras को किया भुगतान (वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत)	10
(v)	इन-हाऊस में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्रय मशीनरी	20
(vi)	इन-हाऊस में वैज्ञानिक अनुसंधान में लिप्त वैज्ञानिक कर्मियों को वेतन	14

शीर्ष 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत अपनी आय की गणना करते हुए करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती की गणना करें।

6. श्री अर्जुन ने मार्च, 2015 में ` 80 लाख की खाली जमीन का क्रय किया। पंजीकरण तथा अन्य व्यय जमीन की लागत का 10% था। उसने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान ` 100 लाख में उक्त जमीन पर आवासीय भवन का निर्माण किया।

उसने 9 अप्रैल, 2017 को श्री जैरी (संबंधी नहीं) के साथ उक्त आवासीय गृह की बिक्री के लिए समझौता किया तथा उस तिथि में नकद में अग्रिम के रूप में ` 20 लाख प्राप्त किये। उस तिथि को स्टेम्प मूल्य ` 740 लाख था। यद्यपि वास्तविक बिक्री प्रतिफल ` 700 लाख निश्चित किया गया।

सहमत प्रतिफल के लिए 10.06.2017 को बिक्री प्रलेख को निष्पादित तथा पंजीकृत किया गया। यद्यपि स्टेम्प ड्यूटी मूल्यांकन प्राधिकरण ने मूल्य को पुनरीक्षित किया, इस कारण पंजीकरण की तिथि पर स्टेम्प ड्यूटी के लिए सम्पत्ति का मूल्य ` 770 लाख लगाया गया। श्री अर्जुन ने प्राप्त बिक्री प्रतिफल पर दलाली के रूप में 1% का भुगतान किया।

बिक्री के पश्चात् श्री अर्जुन ने निम्न निवेश किया:

- ` 110 लाख में मुंबई में आवासीय गृह को अधिगृहीत किया।
- ` 150 लाख में लंदन में आवासीय गृह को अधिगृहीत किया।
- 28.08.2017 को ` 45 लाख तथा 12.10.2017 को ` 50 लाख का NHAI बांड में अभिदान किया।

करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 'पूंजीगत लाभ' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना करें। विमुक्ति का चयन इस प्रकार किया जाए जो कि करनिर्धारण के लिए अधिक लाभप्रद है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक	वित्तीय वर्ष 2004-05	113
	वित्तीय वर्ष 2006-07	122
	वित्तीय वर्ष 2017-18	272

7. श्री मती सोनू से संबंधित निम्न सौदे से, करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उसके हाथों में वसूलीयोग्य राशि की गणना करें। आपका उत्तर कारणों से समर्थित होना चाहिए:

- (i) 19.11.2017 को अपने विवाह के अवसर पर ₹ 2,10,000 का नकद उपहार प्राप्त किया। इसमें गैर-संबंधियों से प्राप्त ₹ 55,000 का उपहार सम्मिलित है।
- (ii) अपने जन्म दिवस 1-1-2018 को उसने पिता के मामा जी से चैक के रूप में ₹ 45,000 का उपहार प्राप्त किया।
- (iii) 12-2-2018 को उसने अपने मित्र से ₹ 1,12,000 में खाली साइट को अधिगृहीत किया। राज्य स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण ने स्टेम्प ड्यूटी उद्देश्य के लिए ₹ 1,92,000 साइट का मूल्य निश्चित किया।
- (iv) उसने एक अन्य मित्र से ₹ 75,000 में निजी कम्पनी के 50 समता अंशों का क्रय किया। क्रय की तिथि को इस प्रकार के अंश का उचित बाजार मूल्य ₹ 1,33,000 था।
8. निम्न सूचना से कारण सहित करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री शर्मा के हाथों में सम्मिलित की जाने वाली आय की गणना करें:
- वर्ष 2015 में श्रीमती शर्मा के द्वारा एक एकल व्यापार आरंभ किया गया 01.04.2016 को उसकी व्यापार में पूंजी ₹ 5,00,000 थी। उसके पति ने 02.04.2016 को ₹ 3,00,000 का उपहार दिया जिसे श्रीमती शर्मा ने उसी तिथि को व्यापार में निवेशित कर दिया। श्रीमती शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 2,00,000 तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4,20,000 का एकल व्यापार से लाभ अर्जित किया।
9. 31.03.2018 का समाप्त वर्ष से संबंधित एक निवासी भारतीय श्री गुप्ता से संबंधित निम्न विवरण है:

विवरण	₹
वेतन से आय	2,20,000
मान्यता प्राप्त स्टॉक इक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों की बिक्री से दीर्घकालीन पूंजी हानि	1,50,000
कपड़ा व्यापार से हानि	2,40,000
स्ट्रॉ व्यवसाय से आय	30,000
धारा 35AD द्वारा कवर निर्दिष्ट व्यापार से हानि	45,000
शहरी जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ	2,50,000
गृह सम्पत्ति से हानि	2,50,000
कार्ड खेल से हानि	40,000
शर्त से आय (सकल)	35,000
जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमित राशि ₹ 5,00,000)	25,000

करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कुल आय की गणना करें तथा आगे ले जाने के लिए पात्र मदें दिखायें।

10. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, भारत में निवासी श्री राजा की कुल आय ₹ 8,00,000 थी जिसमें 2,50,000 की दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ तथा ₹ 50,000 की अल्पकालीन पूंजी लाभ सम्मिलित है। सकल कुल आय में बैंक के साथ बचत बैंक जमा से ₹ 15,000 की ब्याज आय सम्मिलित है। श्री राजा ने सार्वजनिक भविष्य निधि में ₹ 1,40,000 का निवेश किया तथा स्वयं के लिए ₹ 35,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। श्री राजा ने अकाउंट पेयी बैंक के जरिये धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास में ₹ 50,000 का अंशदान किया। श्री राजा जो 31.03.2018 को 65 वर्ष का है की कुल आय तथा उस पर आय की गणना करें।
11. एक निवासी श्री यूसुफ खान आयु 55 वर्ष ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न सूचना को दिया:
- (i) वह ABC & Co. का कार्यकारी साझेदार है। उसने कार्य से निम्न राशि को प्राप्त किया:
- 15% की दर से पूंजी पर ब्याज : ₹ 3,00,000
- कार्यकारी साझेदार के रूप में वेतन (फर्म की बिक्री का 1% की दर से (फर्म को पूर्ण रूप से स्वीकृत): ₹ 90,000
- (ii) वह निर्माण के व्यापार में लिप्त है। एकल व्यापार से संबंधित लाभ तथा हानि खाता (सारांशित स्वरूप) निम्न है:

विवरण	₹	विवरण	₹
वेतन	1,20,000	सकल लाभ	12,50,000
बोनस	48,000	बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज	45,000
कार व्यय	50,000	(स्रोत पर कर कटौती से शुद्ध)	
मशीनरी मरम्मत	2,34,000	कृषि आय के द्वारा	60,000
अग्रिम कर	70,000	जीवन धारा से पेंशन	24,000
ह्रास			
- कार	3,00,000		
- मशीनरी	1,25,000		
शुद्ध लाभ	<u>4,32,000</u>		
	<u>13,79,000</u>		<u>13,79,000</u>

सम्पत्ति का विवरण:

विवरण	₹
-------	---

सम्पत्ति का आरंभिक अपलिखित मूल्य निम्न है:	
कार	3,00,000
मशीनरी (179 दिवस के लिए वर्ष के दौरान प्रयुक्त किया)	6,50,000
मशीनरी में जोड़:	
एकल भुगतान में नकद द्वारा 23.9.2017 को क्रय	2,00,000
अकाउंट पेयी चैक के द्वारा 12.11.2017 को क्रय	3,00,000
वाहक चैक द्वारा 12.04.2017 को क्रय पुरानी मशीनरी के लिए भुगतान	1,25,000

(वर्ष के दौरान जोड़ी सभी सम्पत्ति को क्रय के तुरंत पश्चात् उपयोग में लाया गया) कर व्यय का 1/5 भाग करनिर्धारि के अनुमानित व्यक्तिगत उपयोग के लिए है।

वेतन में प्रबन्धक को एकल नकद भुगतान के जरिये ₹ 15,000 सम्मिलित है।

- (iii) फरवरी, 2016 में उसने चेन्नई में एक गृह को बेचा ₹ 75,000 की राशि इस गृह से संबंधित किराये की बकाया राशि को मार्च, 2018 में प्राप्त किया।

- (iv) उसकी बचत तथा निवेश का विवरण निम्न है:

विवरण	₹
₹ 10 लाख प्रतिवर्ष के वेतन पर बहुराष्ट्रीय कम्पनी में रोजगार में उसके व्यस्क पुत्र के नाम में पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम (बीमित राशि ₹ 2,00,000 (01.07.2013 को पॉलिसी ली गयी)	30,000
सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान	70,000
अपने पिता आयु 79 जो उस पर निर्भर नहीं है के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम	32,000

आप करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री यूसुफ खान की कुल आय की गणना करें।

12. एक निवासी व्यक्ति श्री सचल आयु 54 वर्ष ने गत वर्ष 2017-18 के लिए अपनी आय तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किया:

- (i) थोक कपड़ा व्यापार से ₹ 8,10,000 की आय जिसका खातों का धारा 44AB के अन्तर्गत अंकक्षण किया।
- (ii) अन्य स्रोत से आय ₹ 2,70,000।
- (iii) स्रोत से कर कटौती ₹ 25,000।
- (iv) गत वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,03,000 का अग्रिम कर भुगतान।

11-12-2018 को आय की विवरणी को फाइल किया। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234B के अन्तर्गत भुगतानयोग्य ब्याज की गणना करें। यह मान ले कि आय की विवरणी को फाइल करने की तिथि पर ही उसे प्रोसेस कर दिया गया। आयकर अधिनियम, 1961

के अन्तर्गत आय की विवरणी को जमा करने में देरी के लिए क्या परिणाम है। इस मामले में आवश्यक गणना करके परीक्षण करें।

13. सुश्री गीता ने शीर्ष 'वेतन' गृह सम्पत्ति से आय तथा बैंक ब्याज के तहत आय से करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 29.09.2018 को संबंधित फाइल किया। 01.02.2019 को उसने अनुभव किया कि उसने अपनी माता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80D के अन्तर्गत रु. 15,000 के भुगतान के लिए कटौती का दावा नहीं किया। वह अपनी आय की विवरणी को पुनरीक्षित करना चाहती है। क्या वह ऐसा कर सकती है? परीक्षण करें।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि उसने इस मूल की खोज 02.04.2019 में की?

सुझाया उत्तर

1. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एक अनिवासी श्री काविन के हाथों में कुल प्राप्ति की करयोग्यता

	Taxability	Reason
(a)	करयोग्य	अनिवासी से प्राप्त ` 20 लाख की राशि को धारा 9(1)(vi)(c) के तहत भारत में उत्पन्न अथवा उपार्जित माना जाता है क्योंकि पेटेंट को भारत में व्यापार में प्रयुक्त किया है। इसलिए, राशि भारत में कर से वसूलीयोग्य है।
(b)	करयोग्य नहीं	श्रीलंका में व्यापार के लिए know how का उपयोग के लिए अनिवासी से कोरिया में प्राप्त ` 15 लाख के समतुल्य विदेशी मुद्रा को धारा 9(1)(vi)(c) के अनुसार भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न नहीं माना क्योंकि यह भारत से बाहर चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में है। साथ में, राशि को भारत से बाहर प्राप्त किया। इसलिए यह भारत में कर से प्रभारयोग्य नहीं है।
(c)	करयोग्य	एक भारतीय कम्पनी RR Ltd. से प्राप्त ` 7 लाख की राशि को धारा 9(1)(vii)(b) के कारण भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न माना जाता है क्योंकि इसे भारत में तकनीकी सेवाओं को प्रदान करने के लिए है। इसलिए यह भारत में कर से वसूलीयोग्य है।
(d)	करयोग्य नहीं	नेपाल में नयी परियोजना के लिए संभाव्य अध्ययन को परिचालित करने के लिए एक निवासी R & Co. से नेपाल में प्राप्त ` 5 लाख की राशि को धारा 9(1)(vii)(b) के अनुसार भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न नहीं माना जाता क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन को भारत से बाहर परियोजना में किया है। राशि को भी भारत से बाहर प्राप्त किया है। इसलिए यह भारत में कर से वसूलीयोग्य नहीं है।
(e)	करयोग्य	भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य के लिए एक अनिवासी के द्वारा ऋण पर लिये धन पर ब्याज की तरफ कोरिया को प्राप्त ` 80

		लाख धारा 9(v)(c) के कारण भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न माना गया है क्योंकि धन को भारत में व्यापार के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया। इसलिए यह भारत में कर से वसूलीयोग्य है।
--	--	---

2. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्ति की करयोग्यता

	करयोग्य अथवा नहीं	कारण
(a)	करयोग्य	धारा 10(10BC) के अनुसार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय से किसी आपदा के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य कोई राशि उस हद तक कर से मुक्त है जिसमें व्यक्ति को इस प्रकार की आपदा के कारण हानि अथवा क्षति के कारण किसी कटौती की आज्ञा नहीं दी। यद्यपि इस मामले में, श्री अकाश ने सहायता फाउंडेशन से 3,00,000 की क्षतिपूर्ति प्राप्त की है तथा नाकि केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय से, धारा 10(10BC) के अन्तर्गत कोई विमुक्ति उपलब्ध नहीं होगी तथा यह कर से वसूलीयोग्य है।
(b)	करयोग्य	कृषि आय धारा 10(1) के अनुसार आयकर से विमुक्त है। कृषि आय का अर्थ जमीन से प्राप्त किसी किराया अथवा राजस्व से है जो भारत में लिप्त तथा कृषि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया है। इस मामले में, किराया को मूवी शूट के लिए कृषि जमीन का किराया पर देने से प्राप्त किया है जो कि कृषि उद्देश्य नहीं है। वास्तव में जमीन का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए नहीं किया। इसलिए मूवी शूटिंग के लिए कृषि जमीन को किराया पर देने से प्राप्त किराया धारा 10(1) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं है तथा यह वसूलीयोग्य है।
(c)	आंशिक करयोग्य	एक घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश धारा 115-O के अन्तर्गत घरेलू कम्पनी के हाथों में लाभांश वितरण कर के तहत है। एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश आय जो लाभांश वितरण कर के तहत है धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त है। यद्यपि एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ` 10 लाख से अधिक में लाभांश धारा 115-BBDA के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य है तथा धारा 10(34) के अन्तर्गत विमुक्त नहीं है। इसलिए, इस मामले में ` 10 लाख तक प्राप्त लाभांश धारा 10(34) के अन्तर्गत श्री यतिन के हाथों में विमुक्त है। ` 7 लाख का लाभांश धारा 115BBDA के अनुसार 10% के हाथों में करयोग्य है।
(d)	करयोग्य	विदेश में स्थित एक जमीन से कृषि आय धारा 10(1) के अन्तर्गत

	विमुक्त नहीं है तथा कर से वसूलीयोग्य है। इसलिए, इस मामले में कनाड़ा में स्थिति जमीन से श्री सुनील की ₹ 1,30,000 की कृषि आय करयोग्य है।
--	---

3. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री कश्यप की शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना

विवरण	₹
मूल वेतन = ₹ 20,000 x 10	2,00,000
महंगाई भत्ता = मूल वेतन का 50%	1,00,000
उपहार वाउचर (नोट - 1 देखें)	8,000
कार का अंतरण (नोट - 2 देखें)	1,20,000
डपदान (gratuity) (नोट - 3 देखें)	30,769
अवकाश नकदीकरण (नोट - 4 देखें)	1,30,000
गैर-कम्यूटिड पेंशन (₹ 7000 x 2)	14,000
कम्यूटिड पेंशन (नोट - 5 देखें)	<u>1,50,000</u>
करयोग्य वेतन/सकल कुल आय	<u>7,52,769</u>

नोट:

- (1) नियम 3(7)(iv) के अनुसार, कर्मचारी अथवा परिवार के सदस्य के द्वारा प्राप्त उपहार के स्थान पर किसी उपहार अथवा वाउचर अथवा टोकन जो वर्ष के दौरान योग में ₹ 5000 से अधिक नहीं विमुक्त है। इस मामले में, उसकी सेवानिवृत्ति पर राशि को प्राप्त किया तथा राशि ₹ 5000 की सीमा से अधिक है।

इसलिए, ₹ 8,000 की समस्त राशि अनुलाभ के रूप में कर के लिए दायी है।

नोट – एक वैकल्पिक मत संभव है कि परिपत्र संख्या 15/2001 दिनांक 12.12.2001 की भाषा के मत में ₹ 5,000 तक उपहार विमुक्त होगी इससे आगे यह अनुलाभ के रूप में करयोग्य है। इस मत के अनुसार, अनुलाभ का मूल्य ₹ 3,000 होगा तथा सकल कुल आय ₹ 7,47,769 होगा।

- (2) कार के अंतरण का अनुलाभ मूल्य: नियम 3(7)(viii) के अनुसार नियोक्ता द्वारा एक सम्पत्ति जो कार है अंतरण से उत्पन्न कर्मचारी को लाभ का मूल्य, नियोक्ता को मोटर कार की वास्तविक लागत है जिसे वर्ष, जिसमें नियोक्ता द्वारा कार को उपयोग में लाया गया है, के दौरान प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अपलिखित आधार पर 20% से कम किया जायेगा। इसलिए, मोटर कार के अंतरण पर अनुलाभ का मूल्य होगा:

विवरण	₹
-------	---

क्रय कीमत (1.3.2015)	5,00,000
घटायें: 20% की दर से ह्रास	<u>1,00,000</u>
29.2.2016 को अपलिखित मूल्य	4,00,000
घटायें: 20% की दर से ह्रास	<u>80,000</u>
28.2.2017 को अपलिखित मूल्य	3,20,000
घटायें: वसूल राशि	<u>2,00,000</u>
अनुलाभ का मूल्य	<u>1,20,000</u>

नियम 3(7)(viii) के अन्तर्गत किसी चल सम्पत्ति के अंतरण से उत्पन्न कर्मचारी का लाभ का अनुलाभ मूल्य की गणना करते हुए, वर्ष जिसमें नियोक्ता के द्वारा सम्पत्ति का उपयोग में लाया के दौरान प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में सामान्य छूट फूट की गणना की जायेगी। दिये गये मामले में, कार का उपयोग का तृतीय वर्ष 28.02.2018 को पूर्ण हुआ जबकि कार को 31.01.2018 को कर्मचारी को बेचा। तदनुसार, केवल दो वर्षों के लिए घटते शेष पर 20% की दर से गणना की जायेगी।

वाहन का ह्रास के लिए कम्पनी के लिए अपनाया सीधी रेखा का 15% की दर से श्री कश्यप के हाथों में कार की अनुलाभ मूल्य की गणना के लिए प्रासंगिक नहीं है।

(3) करयोग्य उपदान (Gratuity)

विवरण	₹
प्राप्त उपदान	5,50,000
घटायें: धारा 10(10) के अन्तर्गत विमुक्त: निम्न में से कम	
(i) अधिसूचित सीमा = ₹ 10,00,000	
(ii) वास्तविक प्राप्त उपदान = ₹ 5,50,000	
(iii) $15/26 \times$ अंतिम निकाला वेतन $\times$ पूर्ण वर्ष की संख्या अथवा 6 माह का आधिक्य में भाग	
$15/26 \times 30,000 \times 30 = ₹ 5,19,231$	<u>5,19,231</u>
करयोग्य उपदान	<u>30,769</u>

नोट – उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, मंहगाई भत्ता को वेतन के अर्थ में सम्मिलित किया। क्योंकि इस मामले में, श्री कश्यप उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कवर है, मंहगाई भत्ता को धारा 10(10) के अन्तर्गत विमुक्ति की गणना के लिए वेतन के अर्थ के अंदर सम्मिलित किया।

(4) करयोग्य अवकाश नकदीकरण

विवरण	₹
प्राप्त अवकाश वेतन	3,30,000

घटा: धारा 10(10AA) के अन्तर्गत विमुक्त: निम्न में से न्यूनतम	
(i) अधिसूचित सीमा	` 3,00,000
(ii) वास्तविक अवकाश वेतन प्राप्त	` 3,30,000
(iii) 10 माह x ` 20,000	` 2,00,000
(iv) उसके क्रेडिट में अवकाश के समतुल्य नकद	` 2,20,000
$\left(\times \frac{330}{30} \times 20,000 \right)$	<u>2,00,000</u>
करयोग्य अवकाश नकदीकरण	<u>1,30,000</u>

नोट – धारा 10(10AA) के अन्तर्गत विमुक्ति के उद्देश्य के लिए वेतन में महंगाई भत्ता तब ही सम्मिलित होगा यदि यह सेवानिवृत्ति लाभ का भाग बनता है। इसलिए, इस मामले में, क्योंकि महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति के लिए वेतन का भाग नहीं है, धारा 10(10AA) के अन्तर्गत विमुक्ति की गणना के लिए केवल बेसिक वेतन को ही शामिल किया जायेगा।

(5) **कम्यूटिड पेंशन**

क्योंकि श्री कश्यप उपदान की प्राप्ति में एक गैर-सरकारी कर्मचारी है, धारा 10(10A) के अन्तर्गत विमुक्ति कम्यूटिड पेंशन की राशि के $1/3^{\text{rd}}$ की हद तक ही उपलब्ध होगी जिसे उसने प्राप्त किया होता यदि उसकी समस्त पेंशन कम्यूट की गई होती।

विवरण	`
प्राप्त राशि	3,00,000
घटाये: धारा 10(10A) के अन्तर्गत विमुक्ति = $\frac{1}{3} \times \left[3,00,000 \times \frac{3}{2} \right]$	<u>1,50,000</u>
करयोग्य राशि	<u>1,50,000</u>

4. (i) धारा 24(b) के अनुसार, गृह सम्पत्ति का अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण अथवा पुनः निर्माण के उद्देश्य के लिए ऋण पर भुगतानयोग्य ब्याज का कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। गत वर्ष, जिसमें सम्पत्ति को अधिगृहीत अथवा निर्मित किया, से पहले अवधि के लिए ऋण सम्पत्ति पर भुगतानयोग्य ब्याज का अधिग्रहण अथवा निर्माण की पूर्णता के वर्ष के आरंभ करके बराबर वार्षिक किश्तों में 5 वर्षों की अवधि में कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

यह वर्णित किया है कि निर्माण केवल मई 2018 में पूर्ण हुआ है। अतएव गृह ऋण पर ब्याज के संबंध में धारा 24 के अन्तर्गत कटौती का करनिर्धारण वर्ष 2018-19 में दावा नहीं किया जा सकता।

(ii) धारा 80C के अन्तर्गत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता

धारा 80C के अन्तर्गत वाक्य (xviii) आकर्षित होता है जहां पर एक आवासीय गृह सम्पत्ति का क्रय अथवा निर्माण के उद्देश्य के लिए भुगतान है, जिसकी आय शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य है। इस प्रकार का भुगतान नेशनल हाउसिंग बैंक से ऋण पर ली किसी राशि का पुनर्भुगतान कवर करती है।

यद्यपि, कटौती प्रथम दृष्टि में केवल तब ही पात्र है यदि इस प्रकार की सम्पत्ति से आय शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य है। करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के दौरान, इस शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई आय वसूलीयोग्य नहीं है।

धारा 80EE के अन्तर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है

धारा 80EE के अनुसार, किसी वित्तीय संस्थान से आवासीय गृह के अधिगृहण के उद्देश्य के लिए ऋण पर भुगतानयोग्य ब्याज ₹ 50000 की अधिकतम के तहत कटौती के लिए अहर्ता को प्राप्त करता है वशर्ते निम्न शर्त को पूरा किया है:

- (i) इस प्रकार के ऋण को गत वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित किया है।
- (ii) गृह का मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है।
- (iii) अनुमोदित ऋण की राशि ₹ 35 से अधिक नहीं है तथा
- (iv) करनिर्धारणी ऋण की अनुमोदन की तिथि को किसी आवासीय गृह का स्वामित्व में नहीं रखता।

धारा 80EE शीर्ष 'गृह सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत इस प्रकार की सम्पत्ति से आय की प्रभारयोग्यता के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगता। इसलिए, इस मामले में, क्योंकि श्री कैलाश धारा 80EE के अन्तर्गत वर्णित सभी शर्तों को पूरा करता है, इस प्रकार के ऋण पर ब्याज ₹ 50000 की अधिकतम के तहत धारा 80EE के अन्तर्गत कटौती के लिए अहर्ता प्राप्त करेगा।

धारा 35 के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना

विवरण	राशि (लाख ` में)	धारा	भारित कटौती का %	कटौती की राशि (लाख ` में)
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान				
अनुमोदित कृषि अनुसंधान संस्थान	25	35(1)(ii)	150%	37.5
को एक अनुमोदित विश्व विद्यालय				
RR University को	15	35(1)(ii)	150%	22.5
XY College को [नोट 1 देखें]	17	-	NIL	NIL
IIT मद्रास (वैज्ञानिक अनुसंधान	10	35(2AA)	150%	15
संस्थान को एक अनुमोदित कार्यक्रम				
के अन्तर्गत)				
गृह में (in – house) अनुसंधान [नोट				
2 देखें]				
पूँजी व्यय – मशीनरी का क्रय	20	35(1)(iv)) r.w. 35(2)	100%	20
आयगत व्यय – गृह में वैज्ञानिक	14	35(1)(i)	100%	14
अनुसंधान में लिप्त अनुसंधान				
कर्मचारी को वेतन				
धारा 35 के अन्तर्गत स्वीकार्य कटौती				109

नोट:-

- XY College को भुगतान:** क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि केवल कृषि अनुसंधान संस्था तथा RR University (मद (i) तथा (ii) में वर्णित) अनुमोदित अनुसंधान संस्था है, यह निष्कर्ष निकालना तार्किक है कि मद (iii) में वर्णित XY कॉलेज एक अनुमोदित अनुसंधान संस्थान नहीं है। इसलिए, XY College को भुगतान धारा 35 के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- गृह में (in-house) अनुसंधान तथा विकास के लिए कटौती:** गृह में अनुसंधान तथा विकास सुविधा पर विज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में धारा 35(2AB) के अन्तर्गत केवल कम्पनी करनिधारी 150% की दर से भारित कटौती के लिए हकदार है। यद्यपि इस मामले में, करनिधारी एक व्यक्ति है। इसलिए, वह धारा 35(1)(i) के अन्तर्गत उत्पन्न आयगत व्यय का 100% की दर से कटौती तथा धारा 35(1)(iv) जिसे धारा 35(2) के साथ पढ़ा जाये के अन्तर्गत उत्पन्न पूँजी व्यय का 100% कटौती के लिए हकदार होगा यह मानकर कि इस प्रकार के व्यय को उसके व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर रखा अथवा व्यय किया है।

6. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत वसूलीयोग्य आय की गणना

विवरण	लाख ` में	लाख ` में
आवासीय भवन की बिक्री पर पूंजीगत लाभ		
वास्तविक बिक्री प्रतिफल ` 700 लाख		
स्टेम्प मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अपनाया मूल्य ` 770 लाख		
सकल बिक्री प्रतिफल		770.00
[जहां पर करनिर्धारी द्वारा घोषित वास्तविक बिक्री प्रतिफल स्टेम्प ड्यूटी को वसूल करने के उद्देश्य के लिए स्टेम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाये मूल्य से कम है, तब स्टेम्प मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाया मूल्य का धारा 50C के अनुसार प्रतिफल का पूर्ण मूल्य लिया जायेगा।		
जहां पर समझौते की तिथि पूंजीकरण की तिथि से भिन्न है, समझौते की तिथि है पर स्टेम्प मूल्यांकन को स्वीकार किया जा सकता है। वशर्ते प्रतिफल की समस्त अथवा भाग का भुगतान समझौते की तिथि को अथवा उससे पूर्व अकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट अथवा बैंक खाता के जरिये ECS के द्वारा भुगतान किया है। इस मामले में, क्योंकि ` 20 लाख के अग्रिम का भुगतान नकद द्वारा किया है, समझौते की तिथि पर ` 740 लाख का स्टेम्प ड्यूटी मूल्य को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में अपनाया नहीं जा सकता। पूंजीकरण की तिथि पर स्टेम्प ड्यूटी मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा।		
घटायें: बिक्री प्रतिफल का 1% की दर से दलाली (` 700 लाख का 1%)		<u>7.00</u>
शुद्ध बिक्री प्रतिशत		763.00
घटायें: अधिग्रहण की सूचकांक लागत		
- खाली जमीन की लागत ` 80 लाख जमा पूंजीकरण तथा अन्य व्यय अर्थात् ` 8 लाख जो जमीन की लागत का 10% है [$88 \text{ लाख} \times 272/113$]	211.82	
- आवासीय भवन की निर्माण लागत (` 100 लाख x $272/122$)	<u>222.95</u>	<u>434.77</u>
विमुक्ति से पूर्व दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		328.23
घटायें: धारा 54 के अन्तर्गत विमुक्ति		110.00

दीर्घकालीन आवासीय सम्पत्ति के अंतरण पर उत्पन्न पूंजी लाभ कर से वसूलीयोग्य नहीं होगा जहां पर इस प्रकार की पूंजीगत लाभ को मूल सम्पत्ति की अंतरण की तिथि के पश्चात् दो वर्ष में अथवा एक वर्ष पूर्व एक आवासीय गृह सम्पत्ति के क्रय में निवेशित किया है। इसलिए, वर्तमान मामले में विमुक्ति मुंबई में अधिगृहीत आवासीय गृह के संबंध में उपलब्ध होगी ना कि लंदन में आवासीय गृह के संबंध में		
घटायें: धारा 54EC के अन्तर्गत विमुक्ति अंतरण की तिथि से छह माह के अंदर NHAI का पूंजी लाभ बांड में जमा राशि (अर्थात् 09-12-2017 को अथवा उससे पूर्व) ` 50 लाख की अधिकतम तक विमुक्ति के अहर्ता प्राप्त करेगा। इसलिए, वर्तमान मामले में, विमुक्ति को ` 95 लाख में से केवल ` 50 लाख की हद तक प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते यदि दोनों निवेश को 09.12.2017 अथवा उससे पूर्व किया है (अर्थात् अंतरण की तिथि से छह माह के अंदर)		50.00
कर से वसूलीयोग्य दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ		168.23

नोट: क्योंकि आवासीय गृह को श्री अर्जुन द्वारा अंतरण की तिथि से एक दम पहले 24 माह से अधिक के लिए धारित किया है, परिणामतः लाभ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ है।

7. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्रीमती सोनू के हाथों में प्रभारयोग्य राशि की गणना

	विवरण	`
(i)	विवाह के अवसर पर प्राप्त ` 2,10,000 का नकद उपहार करयोग्य नहीं है क्योंकि विवाह के अवसर पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार को धारा 56(2)(x) के अन्तर्गत कर से अलग किया है चाहे यदि यह गैर-संबंधी से है।	शून्य
(ii)	चाहे पिता का मामा धारा 56(2)(x) के अन्तर्गत 'संबंधी' की परिभाषा के अंदर नहीं आता, उसके द्वारा चैक से प्राप्त ` 45,000 का उपहार कर से वसूलीयोग्य नहीं है क्योंकि श्रीमती सोनू द्वारा गैर-संबंधी से गत वर्ष 2017–18 के द्वारा प्राप्त धन की योग राशि (विवाह के अवसर को छोड़कर) ` 50000 से अधिक नहीं है।	शून्य
(iii)	12.2.2018 को अपर्याप्त प्रतिफल के लिए खाली साइट का क्रय धारा 56(2)(x) के प्रावधान को आकर्षित करेगा। जहां पर एक प्रतिफल के लिए अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया जाता है जो ` 50000 से अधिक की एक राशि द्वारा सम्पत्ति के स्टेम्प मूल्य से कम है, स्टेम्प ड्यूटी मूल्य तथा प्रतिफल के मध्य अंतर व्यक्ति के	80,000

	हाथों में कर से वसूलीयोग्य है। इसलिए, दिये गये मामले में, ₹ 80,000 (₹ 1,92,000 - ₹ 1,12,000) श्रीमती सोनू के हाथों में करयोग्य है।	
(iv)	क्योंकि अंश को 'सम्पत्ति' की परिभाषा में सम्मिलित किया है तथा अंश का क्रय मूल्य तथा उचित बाजार मूल्य के मध्य अंतर ₹ 58,000 (₹ 1,33,000 - ₹ 75,000) है जो ₹ 50,000 से अधिक है अतः धारा 56(2)(x) के अन्तर्गत करयोग्य होगा	58,000
कर से वसूलीयोग्य राशि		1,38,000

8. धारा 64(1)(iv) व्यक्ति के हाथों में आय की कलिंग करने को प्रदान करने के लिए कहता है, यदि सम्पत्ति से अर्जन पर्याप्त प्रतिफल अथवा अलग रहने के समझौते के संबंध के अतिरिक्त व्यक्ति के जीवनसाथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित सम्पत्ति से है। इन मामले में, श्रीमती शर्मा ने अपने पति से ₹ 3,00,000 को प्राप्त किया जिसमें उसने अपने व्यवसाय में निवेशित किया। एक मामले में जहां पर जीवनसाथी से उपहार को व्यापार में निवेशित किया, धारा 64(1) के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार किसी गत वर्ष के लिए इस प्रकार व्यापार से लाभ अथवा हानि को प्रासंगिक गत वर्ष की 1 अप्रैल को नियोजित पूंजी के अनुपात में आबंटित करना होगा। तदनुसार, करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के हाथों में सम्मिलित की जाने वाली आय की गणना निम्न होगी:

विवरण	श्रीमती शर्मा का पूंजी अंशदान	पति से उपहार में से पूंजी अंशदान	कुल
	₹	₹	₹
1.4.2016 को पूंजी	5,00,000	--	5,00,000
अपने पति से प्राप्त उपहार से			
02.04.2016 को निवेश		3,00,000	3,00,000
	5,00,000	3,00,000	8,00,000
गत वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात् 1.4.2016 को नियोजित पूंजी के आधार पर आबंटित किया जाने वाला वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाया	2,00,000		2,00,000
1.4.2017 को नियोजित पूंजी	7,00,000	3,00,000	10,00,000
1.4.2017 को नियोजित पूंजी के आधार पर आबंटित होने वाला वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभ (अर्थात् 7:3)	2,94,000	1,26,000	4,20,000

इसलिए करनिर्धारण वर्ष 2018–18 के लिए श्री शर्मा के हाथों में आय को सम्मिलित की जाने वाली आय है ₹ 1,26,000।

9. करनिर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए श्री गुप्ता की कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन		
वेतन से आय	2,20,000	
घटायें: गृह सम्पत्ति से हानि [नोट (i) देखें]	<u>2,00,000</u>	20,000
व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन		
सट्टा व्यापार से आय	30,000	
घटायें: कपड़ा व्यापार से हानि का सेट ऑफ [नोट (iv) देखें]	<u>30,000</u>	शून्य
पूंजीगत लाभ		
शहरी जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ	2,50,000	
घटायें: कपड़ा व्यापार से हानि का सेट ऑफ [नोट (iv) देखें]	<u>2,10,000</u>	40,000
अन्य स्रोत से आय		
शर्त से आय		<u>35,000</u>
सकल कुल आय		95,000
घटायें: धारा 80C के अन्तर्गत कटौती (भुगतान जीवन बीमा प्रीमियम) [नोट (vi) देखें]		<u>20,000</u>
कुल आय		<u>75,000</u>

आगे ले जाने वाली हानि

विवरण	₹
(1) गृह सम्पत्ति से हानि (₹ 2,50,000 - ₹ 2,00,000)	50,000
(2) कपड़ा व्यापार से हानि (₹ 2,40,000 - ₹ 30,000 - ₹ 2,10,000)	शून्य
(3) धारा 35AD के द्वारा कवर निर्दिष्ट व्यापार से हानि	45,000

नोट:

- धारा 71(3A) के अनुसार, गृह सम्पत्ति की हानि को केवल ₹ 2,00,000 की हद तक किसी अन्य शीर्ष के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। धारा 71B के अनुसार, सेट ऑफ नहीं की जा सकी। शेष हानि को उस वर्ष का गृह सम्पत्ति से आय के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए अगले वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है।
- एक मान्यता प्राप्त स्टॉक इक्सचेंज जिसमें सूचीबद्ध अंशों से बिक्री से दीर्घकालीन

पूँजी लाभ पर अधिग्रहण और बिक्री के समय प्रतिभूति सौदा कर (STT) का भुगतान किया तथा बिक्री धारा 10(38) के अन्तर्गत विमुक्त है। विमुक्त स्रोत से हानि को करयोग्य स्रोत से लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। इसलिए, सूचीबद्ध अंश जिस पर प्रतिभूति सौदाकर का भुगतान किया कि बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजी हानि को शहरी जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजी लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता इस प्रकार की हानि को बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता।

- (iii) धारा 35AD द्वारा कवर निर्दिष्ट व्यापार से हानि को केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार का लाभ तथा अर्जन के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की हानि को किसी अन्य हानि के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। गैर-अवशोषित हानि को बाद के वर्षों में किसी निर्दिष्ट व्यापार का लाभ तथा अर्जन के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए आगे ल जाया जायेगा।
- (iv) क्योंकि हानियों के सेट ऑफ का अन्तः स्रोत धारा 70(1) के अनुसार अनुमेय है, ₹ 30,000 की हद तक कपड़ा व्यापार से हानि को सट्टा व्यापार की आय के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है। शेष व्यापार हानि को धारा 71(2A) में समाहित प्रतिबंध के कारण वेतन आय के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। यद्यपि ₹ 2,10,000 (₹ 2,40,000 – ₹ 30,000) की व्यापारिक हानि का शहरी जमीन की बिक्री से की दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ के लिए सेट ऑफ किया जा सकता है। परिणामतः करयोग्य दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ ₹ 40,000 होगा।
- (v) कार्ड खेल से हानि का ना ही तो किसी आय के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है ना ही आगे ले जाया जा सकता।
- (vi) अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती के प्रदान करने के लिए, सकल कुल आय को दीर्घकालीन पूँजी लाभ तथा आकस्मिक आय के द्वारा घटाया जायेगा। इसलिए, जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में धारा 80C के अन्तर्गत कटौती ₹ 20,000 तक सीमित होगी [अर्थात् ₹ 1,05,000 की सकल कुल आय – ₹ 40,000 (दीर्घकालीन पूँजी लाभ) – ₹ 45,000 (आकस्मिक आय)]।
- (vii) शर्त से आय धारा 115BB के अन्तर्गत 30% की फ्लैट दर पर कर स वसूलीयोग्य है तथा इस प्रकार की आय से कटौती के रूप में किसी व्यय अथवा छूट की आज्ञा नहीं दी जा सकती ना ही इस प्रकार की आय के विरुद्ध किसी हानि को सेट ऑफ किया जा सकता।

10. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री राजा की कुल आय तथा के द्वारा भुगतानयोग्य कर की गणना

विवरण	₹	₹
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ सहित सकल कुल आय		8,00,000
घटायें: दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ		<u>2,50,000</u>
		5,50,000

घटायें: अध्याय VI-A के अन्तर्गत कटौती		
सार्वजनिक भविष्य निधि के संबंध में धारा 80C के अन्तर्गत	1,40,000	
धारा 80D के अन्तर्गत (यह माना गया है कि ₹ 35,000 का भुगतान नकद के अतिरिक्त किया है। कटौती ₹ 30,000 तक सीमित होगी क्योंकि श्री राजा निवासी वरिष्ठ नागरिक है।	30,000	
धारा 80G के अन्तर्गत (नीचे नोट 1 तथा 2 देखें)	18,500	
धारा 80TTA के अन्तर्गत (नीचे नोट 3 देखें)	<u>10,000</u>	<u>1,98,500</u>
कुल आय (दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को छोड़कर)		<u>3,51,500</u>
कुल आय (दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ सहित)		6,01,500
कुल आय पर कर (₹ 2,50,000 का दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ सहित)		
दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ ₹ 2,50,000 x 20%		50,000
शेष कुल आय ₹ 3,51,500, ₹ 51,500 पर 5% की दर से कर (₹ 3,51,500 – ₹ 3,00,000) जो वरिष्ठ नागरिक के लिए मूल विमुक्ति सीमा है		<u>2,575</u>
		52,575
जोड़े: 2% की दर से शिक्षण उपकरण तथा 1% की दर से माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकरण		<u>1,577</u>
कुल कर दायित्व		<u>54,152</u>
कुल कर दायित्व (राउंड ऑफ)		54,150

नोट:

1. धारा 80G के अन्तर्गत कटौती की गणना

विवरण	₹
सकल कुल आय (दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को छोड़कर)	5,50,000
घटायें: धारा 80C, 80D तथा 80TTA के अन्तर्गत कटौती	1,80,000
	3,70,000
उपरोक्त का 10%	37,000
सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को किया अंशदान	50,000
धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के लिए (पात्र दोनों में से कम)	37,000
धारा 80G के अन्तर्गत कटौती – ₹ 37,000 का 50%	18,500

- 2.** धारा 80G के अन्तर्गत कटौती के तब ही आज़ा है यदि राशि का भुगतान नकद की बजाय किसी साधन किया जहां पर राशि ₹ 2,000 से अधिक है। इसलिए,

सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास को किया अंशदान कटौती के लिए पात्र है क्योंकि इसे अकाउंट पेयी चैक के जरिये किया।

3. एक व्यक्ति करनिर्धारी को धारा 80TTA के अन्तर्गत ₹ 10,000 तक कटौती की आज्ञा है यदि सकल कुल आय में बैंक के साथ बचत खाता में जमा से ब्याज आय सम्मिलित है। क्योंकि श्री राजा की सकल कुल आय में बचत बैंक जमा पर ₹ 15,000 की ब्याज आय सम्मिलित है, वह धारा 80TTA के अन्तर्गत कटौती के लिए पात्र है।

11. करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए श्री यूसुफ खान की कुल आय की गणना

विवरण		₹	₹
गृह सम्पत्ति से आय			
चेन्नई गृह के संबंध में प्राप्त किराया का बकाया धारा 25A के अन्तर्गत करयोग्य [नोट 1]		75,000	
घटायें: 30% की दर से कटौती		<u>22,500</u>	52,500
व्यापार अथवा पेशे से लाभ तथा अर्जन			
(a) स्वयं को व्यापार से [नोट 3]			6,37,000
(b) साझेदारी फर्म से आय [नोट 2]			
पूँजी पर ब्याज		2,40,000	
[धारा 28(v) के अनुसार, केवल साझेदारों के हाथ में प्रभारयोग्य की हद तक फर्म के हाथ में कटौती के रूप में स्वीकार्य अर्थात् 12% की दर से]			
वर्किंग साझेदार का वेतन (क्योंकि यह फर्म के हाथों में कटौती के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकृत है)		<u>90,000</u>	3,30,000
अन्य स्रोत से आय			
(a) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा पेंशन		24,000	
(b) बैंक स्थायी जमा से ब्याज (सकल)		<u>50,000</u>	<u>74,000</u>
सकल कुल आय			10,93,500
Less: Chapter VIA के अन्तर्गत कटौतियां धारा 80C			
व्यस्क पुत्र के नाम में पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम कटौती के लिए पात्र है चाहे वह करनिर्धारी पर आश्रित नहीं है। यद्यपि, वह बीमित राशि का 10% तक सीमित है अर्थात् ₹ 2,00,000	20,000		

का 10%			
सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान	<u>70,000</u>	90,000	
धारा 80D			
वरिष्ठ नागरिक पिता के लिए मेडीक्लेम प्रीमियम	32,000		
(कटौती के लिए पात्र चाहे पिता करनिर्धारी पर			
आश्रित नहीं ` 30,000 का अधिकतम तक)		<u>30,000</u>	<u>1,20,000</u>
कुल आय			<u>9,73,500</u>

नोट:

- (1) धारा 25A के अनुसार, प्राप्त किराया का बकाया, इस प्रकार के बकाया के 30% के बराबर राशि की कटौती के पश्चात् प्राप्ति के वर्ष में गृह सम्पत्ति से आयकर के रूप में प्रभारयोग्य होगी।
- (2) फर्म ABC & Co. जिसमें यूसुफ खान वर्किंग साझेदार की पूंजी पर ब्याज तथा वेतन के जरिये आय धारा 40(b) के अन्तर्गत फर्म के हाथों में कटौती के रूप में आजा है को धारा 28(v) के अनुसार साझेदारी की व्यापार आय में सम्मिलित किया गया है। तदनुसार ` 3,30,000 [अर्थात् ` 90,000 (वेतन) + 12% की दर से ब्याज ` 2,40,000)] को व्यापार आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- (3) स्वयं के व्यापार से आय की गणना

विवरण	`	`
लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ		4,32,000
घटाये: लाभ तथा हानि खाता में क्रेडिट मद को व्यापार आय नहीं माना		
स्थिर जमा पर ब्याज (स्रोत पर कर कटौती का शुद्ध)	45,000	
कृषि आय	60,000	
जीवन धारा से पेंशन	<u>24,000</u>	<u>1,29,000</u>
		3,03,000
जोड़े: अस्वीकृत करने/पृथक् रूप से विचार करने के लिए लाभ तथा हानि खाता में डेबिट मदें		
अग्रिम कर	70,000	
ह्रास:		
- कार	3,00,000	
- मशीनरी	1,25,000	
व्यक्तिगत उपयोग के लिए अस्वीकृत कार व्यय (` 50,000 x 1/5)	10,000	

प्रबन्धक को वेतन धारा 40A(3) के अन्तर्गत अस्वीकृत क्योंकि इसका नकद में भुगतान किया तथा ₹ 10,000 से अधिक है	<u>15,000</u>	<u>5,20,000</u>
		8,23,000
घटायें: ह्रास (नीचे वर्किंग टिप्पणी को देखें)		<u>1,86,000</u>
व्यापार से आय		<u>6,37,000</u>

वर्किंग नोट:

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य ह्रास की गणना

विवरण	`	`
कार पर:		
₹ 3,00,000 का 15% की दर से ह्रास	45,000	
घटायें: व्यक्तिगत उपयोग के लिए 1/5	<u>9,000</u>	
कटौती के रूप में स्वीकार्य कार पर ह्रास		36,000
मशीनरी पर:		
आरंभिक अपलिखित मूल्य पर 6,50,000		
वर्ष के दौरान वृद्धि (180 दिवस से अधिक के लिए प्रयुक्त)		
- 23.9.17 को क्रय नयी मशीनरी 2,00,000		
- 12.4.17 को पुरानी मशीनरी 1,25,000		
वर्ष के दौरान जोड़ (180 दिवस से कम के लिए प्रयुक्त) 3,00,000		
सामान्य ह्रास		
₹ 6,50,000 पर 15% की दर से ह्रास	97,500	
[धारा 43(1) का द्वितीय उपबंध के अनुसार, सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए व्यय जिनके संबंध में एक दिन में एक व्यक्ति को भुगतान ₹ 1,00,000 से अधिक है को वास्तविक लागत की गणना के लिए अनदेखी करनी चाहिए यदि इस प्रकार के भुगतान को एकाउंटपेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट अथवा ECS के जरिये किया है। तदनुसार 12.4.2017 को क्रय पुरानी मशीनरी तथा 23.9.2017 को क्रय नयी मशीनरी पर ह्रास स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान को एक दिन में एक व्यक्ति को एकाउंटपेयी चेक/एकाउंट पेयी ड्राफ्ट/ECS के अतिरिक्त भुगतान किया ₹ 3,00,000 पर 75% की दर		

से ह्रास]		
` 3,00,000 पर 7.5% की दर से ह्रास	<u>22,500</u>	
मशीनरी पर कुल सामान्य ह्रास (A)	1,20,000	
जहां पर वर्ष के दौरान अधिगृहीत सम्पत्ति को 180 दिवस के कम के लिए प्रयुक्त किया है। ह्रास की दर का 50% स्वीकार्य है। यह प्रतिबंध पहले के वर्ष में अधिगृहीत सम्पत्ति पर लागू नहीं होता।		
अतिरिक्त ह्रास (B)		
नई मशीनरी		
180 दिवस से कम के लिए प्रयुक्त किया = ` 3,00,000 का 10%	<u>30,000</u>	
मशीनरी पर कुल अनुमेय ह्रास (A) + (B)		<u>1,50,000</u>
धारा 32 के अन्तर्गत स्वीकार्य ह्रास		<u>1,86,000</u>

12. श्री सचल द्वारा धारा 234B के अन्तर्गत भुगतानयोग्य ब्याज की गणना

विवरण	₹
` 10,80,000 की कुल आय पर कर [ ` 8,10,000 की व्यापार आय + ` 2,70,000 का अन्य स्रोत से आय]	1,36,500
जोड़े: 3% की दर से शिक्षण उपकरण तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकरण	<u>4,095</u>
कुल आय पर कर	1,40,595
घटायें: स्रोत पर कर कटौती	<u>25,000</u>
निर्धारित कर	<u>1,15,595</u>
निर्धारित कर का 90%	1,04,036
भुगतान प्रीमियम अग्रिम कर	1,03,000
धारा 234B के अन्तर्गत ब्याज लगेगा। क्योंकि अग्रिम कर का भुगतान ` 1,03,000 निर्धारित कर के 90% से कम है	
1 अप्रैल 2018 से 11 दिसम्बर 2018 जो विवरणी के प्रोसेस की तिथि तक माह की संख्या।	9
` 12,500 पर 9 माह के लिए 1% प्रतिमाह अथवा माह के भाग की दर से धारा 234B के अन्तर्गत ब्याज [अर्थात् ` 1,15,595 का निर्धारित कर तथा ` 1,03,000 का अग्रिम कर के मध्य अंतर जो ` 12,595 है जिसे आयकर नियम, 1962 का नियम 119A के अन्तर्गत ` 12,500 तक राउंड ऑफ किया]	1,125

देय तिथि को अथवा उससे पूर्व आय की विवरणी का फाइल करने में देरी का परिणाम

धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट देय तिथि से आगे आय की विवरणी को फाइल करने पर धारा 234A के अन्तर्गत ब्याज तथा धारा 234F के अन्तर्गत शुल्क लगेगा।

धारा 234A के अन्तर्गत ब्याज

क्योंकि श्री सचल के खाते को धारा 44AB के अन्तर्गत अंकेक्षित किया जाता है, उसके मामले में करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विवरणी को फाइल करने की देय तिथि 30.09.2018 है। श्री सचल ने 17.12.2018 को विवरणी फाइल की अर्थात् धारा 234A के अन्तर्गत ब्याज कुल आय पर भुगतानयोग्य कर की राशि, जिसे भुगतान अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती के द्वारा कम किया जाता है, पर प्रतिमाह अथवा माह के एक भाग पर 1% की दर से 3 माह (1.10.2018 से 11.12.2018) के लिए भुगतानयोग्य होगा अर्थात् ₹ 12,595 जिसे आयकर नियम, 1962 की धारा 119A के अन्तर्गत ₹ 12,500 तक राउंड ऑफ किया।

धारा 234A के अन्तर्गत ब्याज = ₹ 12,500 x 1% x 3 = ₹ 375

धारा 234F के अन्तर्गत विवरणी को देरी से फाइल करने के लिए शुल्क

क्योंकि श्री सचल ने देय तिथि के पश्चात् परन्तु 31.12.2018 से पहले विवरणी को फाइल किया तथा उसकी कुल आय ₹ 5 लाख से अधिक नहीं है, उसके द्वारा 5,000 की फीस भुगतानयोग्य है।

13. स्रोत पर कटौती तथा स्रोत पर करग्रहण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर

क्र. संख्या	स्रोत पर कर कटौती	स्रोत पर कर संग्रहण
(1)	यह स्रोत पर कर कटौती है	यह स्रोत पर कर संग्रहण है
(2)	भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निर्धारित दर पर स्रोत पर कर कटौती करनी होगी	कुछ वस्तुओं का विक्रेता अथवा सेवा का प्रदानकर्ता क्रेता से निर्धारित दर पर स्रोत पर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है व्यक्ति जो लाइसेंस अथवा पट्टा (पार्किंग लाट, टोल प्लाजा, खान तथा खदान) को प्रदान करत है लाइसेंसी अथवा पट्टाधारी जैसा भी मामला है से निर्धारित दर पर स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।
(3)	सामान्यतः कर को भुगतान प्राप्तकर्ता के खाता में क्रेडिट के समय अथवा भुगतान के समय जो भी पहले हो कर की	सामान्यतः कर को क्रेता के खाते में कुछ वस्तुओं के क्रेता द्वारा भुगतानयोग्य राशि का डेबिट के

	कटौती की जाती है यद्यपि, कुछ मामलों में कर को भुगतान के समय काटने की आवश्यकता होती है, उदाहरणतः वेतन के भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान के मामले में।	समय अथवा उक्त क्रेता से इस प्रकार की राशि की प्राप्ति के समय जो भी पहले पर स्रोत पर संग्रहण की आवश्यकता है। यद्यपि ` 10 लाख से अधिक के मूल्य का मोटर वाहन की बिक्री के मामले में, स्रोत पर कर संग्रहण को बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति के समय करनी होगी।
--	--	--

14. क्योंकि सुश्री गीता की आय केवल शीर्ष "वेतन" "गृह सम्पत्ति से आय" तथा "अन्य स्रोत से आय" से आय है, वह व्यक्ति की श्रेणी के अंदर नहीं आती जिसके खाते को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत खाते को अंकेक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए उनके मामले में धारा 139(1) के अन्तर्गत करनिर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विवरणी को फाइलिंग करने की देय तिथि 31 जुलाई 2018 है। क्योंकि सुश्री गीता ने 29.9.2018 को विवरणी फाइल की है, उक्त विवरणी धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से विवरणी है।

धारा 139(5) के अनुसार धारा 139(1) के अन्तर्गत जमा विवरणी अथवा धारा 139(4) के अन्तर्गत एक देरी से विवरणी को पुनरीक्षित किया जा सकता है यदि वह उस विवरणी में किसी भूल अथवा गलत विवरण को खोजती है। इसलिए धारा 139(4) के अन्तर्गत देरी से विवरणी को पुनरीक्षित किया जा सकता है। इसलिए धारा 80D के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के लिए फरवरी 2019 में धारा 139(4) के अन्तर्गत उसके द्वारा फाइल आय की विवरणी को पुनरीक्षित किया जा सकता है क्योंकि एक पुनरीक्षित विवरणी को फाइल करने की समय सीमा प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष जो 31.03.2019 तक है।

हलांकि, वह विवरणी का पुनरीक्षित नहीं कर सकती यदि उसने 2.04.2019 को मूल को खोजा क्योंकि यह कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की समाप्ति की तिथि 31-03-2019 से आगे है।

पेपर 4 : कराधान

खंड B : अप्रत्यक्ष कर

प्रश्न

- (1) सभी प्रश्नों का उत्तर 31.10.2017 तक संशाधित वस्तु तथा सेवा कर कानून (GST) की स्थिति के आधार पर देना चाहिए।
- (2) विभिन्न प्रश्नों में वर्णित वस्तु तथा सेवा के लिए GST दर वैकल्पिक है तथा उन वस्तु तथा सेवा पर लगने वाली वास्तविक दर होना आवश्यक नहीं। आगे, GST क्षति पूर्ति उपकर जहां पर लागू है, की सभी प्रश्नों से अनदेखी करनी चाहिए।

1. मुंबई (महाराष्ट्र) में एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Raman Ltd. ने अहमदाबाद (गुजरात) तथा पूणे (महाराष्ट्र) में स्थित क्रमशः Sahil Traders तथा Jaggi Motors Ltd. में वस्तु की आपूर्ति की। Raman Ltd. ने चालू माह के लिए निम्न विवरण को दिया:

क्र. संख्या	विवरण	Sahil Traders (₹)	Jaggi Motors Ltd. (₹)
(i)	वस्तुओं की कीमत (GST को छोड़कर)	20,000	15,000
(ii)	पैकिंग प्रभार	600	
(iii)	कमीशन	400	
(iv)	भार प्रभार		1,000
(v)	त्वरित भुगतान के लिए बट्टा (इंवायस में रिकार्डिड)		500

उपरोक्त बिंदु (i) में दिये गये वस्तु की कीमत पर पहुंचने पर बिंदु (ii) से (v) में दी गयी मद पर विचार नहीं किया गया।

दिये गये माह के लिए Raman Ltd. का GST दायित्व [CGST तथा SGST तथा IGST जैसा मामला हो। की गणना करें। मान ले कर की दर निम्न है:

विवरण	कर की दर
केंद्रीय कर (CGST)	9%
राज्य कर (SGST)	9%
एकीकृत कर (IGST)	18%

उपयुक्त मान्यता करें जहां पर आवश्यक है।

नोट: Sahil Traders को की गयी आपूर्ति अन्तर्राज्य आपूर्ति है।

2. (i) वस्तुओं का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Tirupati Traders नियमित योजना के अन्तर्गत GST [CGST, SGST तथा IGST] का भुगतान करता है। इसने कर अवधि के लिए निम्न विवरण को दिया:—

विवरण	₹
वस्तु की अन्तर्राज्य आपूर्ति का मूल्य	12,000
वस्तु की अन्तर्राज्य क्रय का मूल्य	10,000

नोट:

- (i) CGST, SGST तथा IGST की दर क्रमशः 9%, 9% तथा 18% है।
- (ii) अन्तर्वाह बहिर्वाह दोनों आपूर्ति कर रहित है; कर से हट कर है जहां पर लागू है।
- (iii) input tax credit प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं।
- दिये गये कर अवधि के दौरान Tirupati Traders के द्वारा भुगतानयोग्य शुद्ध GST की गणना यह मानकर कीजिए कि इनपुट कर क्रेडिट का कोई आरंभिक शेष नहीं है। जहां पर आवश्यक है उपयुक्त मान्यता करें।
- (ii) एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Govind मुंबई में स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से पड़ोसी राज्य में सेवा को प्रदान करने में लिप्त है। उसने कर अवधि के दौरान आंतरिक तथा बाहरी आपूर्ति के संबंध में निम्न विवरण को दिया:

विवरण	(₹)
सेवा की अन्तर्राज्य आपूर्ति	1,80,000
राज्य के अंदर वस्तु तथा सेवा की प्राप्ति	1,00,000

मानले कर की दर भिन्न है:

विवरण	दर
CGST	9%
SGST	9%
IGST	18%

नोट:

- (i) आपूर्ति का अन्तर्वाह व बहिर्वाह दोनों, जहां पर लागू है कर से रहित है।
- (ii) इनपुट कर क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूर्ण किया है। दी गयी कर अवधि के दौरान गोविंद द्वारा भुगतानयोग्य शुद्ध GST की गणना करें। जहां पर आवश्यक है उपयुक्त मान्यता करें।

3. Shipra Traders आसाम में वस्तुओं का पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है। इसने उसी राज्य के अंदर स्थित Kartik Suppliers से ₹ 10,000 मूल्य की वस्तुओं का क्रय किया। Kartik Suppliers ने अपने इन्वायस में पृथक् CGST तथा SGST को वसूल किया। इसके पश्चात् Shipra Traders ने आसाम में स्थित Rabina Manufacturers को ₹ 9500 की वस्तु को बेचा। क्रय इनपुट का 20% स्टॉक में रखा है तथा वस्तु का कोई आरंभिक स्टॉक नहीं है। वस्तु की आपूर्ति तथा क्रय पर CGST तथा SGST की दर 9% प्रत्येक है। Shipra Traders द्वारा भुगतानयोग्य शुद्ध GST तथा आगे ले जाने वाला इनपुट कर क्रेडिट, (ITC) यदि कोई है की गणना करें।
4. Granites Textiles Ltd. ने Makhija Engineering Works Ltd. से ₹ 10,00,000 (GST को छोड़कर) की 8 जुलाई 2017 को 18% की दर से GST का भुगतान कर नीडल डीडेक्टिंग मशीन का क्रय किया। इसने मशीन पर भुगतान GST की ITC को प्राप्त किया तथा इसे वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया। मशीन को LT Pvt. Ltd. को पुरानी मशीन के रूप में 22 अक्टूबर, 2018 को ₹ 7,50,000 (GST को छोड़कर) में बेच दिया गया। मशीन की आपूर्ति पर GST की दर 18% है।
- पुरानी मशीन की बिक्री पर वैधानिक GST प्रावधानों के अनुसार Granites Textiles Ltd को क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
5. एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता Royal Sweet Co., Delhi ने निम्न कुछ सौदे का विवरण को दिया जो नवम्बर, 20XX में हुआ:

क्र. संख्या	दिनांक	विवरण	इन्वायस की तिथि	राशि (₹)
(i)	11.11.20XX	दिल्ली में एक एडवोकेट को किया भुगतान	07.07.20XX	1,25,000
(ii)	20.11.20XX	15.10.20XX को दिल्ली में संपन्न सभी के लिए हरियाणा से निदेशक को सिटिंग फीस का भुगतान	15.10.20XX	75,000

यह मानलें कि कर की दर निम्न है:

विवरण	दर
CGST	9%
SGST	9%
IGST	18%

आपको उपरोक्त वर्णित गतिविधियों की आपूर्ति की समय सीमा के साथ नवम्बर 20XX माह के लिए भुगतानयोग्य GST [CGST & SGST/IGST की गणना करनी होगी]

6. जनकपुरी में एक एयर कंडीशनर डीलर Sahab Sales की सफदरजंग इक्लेव में अपने नये निर्मित गृह के लिए 4 एसी की आवश्यकता है। इसलिए उसने उक्त उद्देश्य के लिए स्टॉक से 4 एसी (जिस पर उसके द्वारा पहले ITC को प्राप्त किया) को अंतरित किया

परीक्षण करें क्या उक्त गतिविधि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत आपूर्ति है।

आगे, एक जनकपुरी निवासी आकाश ने Sahab Sales को अप्रोच किया। उसने ₹ 5,000 में Sahab Sales को एक एसी बेचा। आकाश ने अपने निवास के लिए छह माह पूर्व उक्त एसी को क्रय किया। क्या आकाश द्वारा Sahab Sales को एसी की बिक्री CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत आपूर्ति मानी जायेगी।

7. Pure Oils, Delhi ने अप्रैल 20XX के माह में मशीन ऑयल तथा हाईस्पीड डीजल की आपूर्ति को आरंभ किया। उक्त माह के लिए इसके द्वारा निम्न विवरण को दिया:

क्र. संख्या	विवरण	₹*
(i)	दिल्ली में मशीन ऑयल की आपूर्ति	2,00,000
(ii)	दिल्ली में हाईस्पीड डीजल की आपूर्ति	4,00,000
(iii)	दिल्ली में Pure Oils का एक एजेंट Fortis Lubricants, के जरिये आपूर्ति	3,75,000
(iv)	पंजाब में स्थित अपनी शाखा से Pure Oils के द्वारा की गयी आपूर्ति	1,80,000

* GST को छोड़कर

निर्धारित करें क्या Pure Oils पंजीकरण के लिए दायी है। क्या आपका उत्तर बदलता है यदि Pure Oils उपरोक्त वर्णित आपूर्ति के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में स्थित इसकी शाखा से

₹ 2,50,000 की राशि का मशीन ऑयल की आपूर्ति करता है?

8. दिल्ली में डिजाइनर आउट फिट का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता 'Royal Fashions' ने 4 जनवरी, 20XX को Hotel Park Royal दिल्ली में आयोजित फैशन शो में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। इस अवसर के लिए, इसने Aura Beauty Services Pvt. Ltd. अशोक विहार द्वारा अपने मॉडल का मेकओवर करवाया। जिसके लिए उसने ₹ 5,00,000 (GST को छोड़कर) का प्रतिफल को वसूला। Aura Beauty Services Pvt. Ltd. ने 9% प्रत्येक CGST तथा SGST सहित ₹ 5,90,000 की एक मुश्त राशि को दिखाते हुए 10 फरवरी 20XX को हस्ताक्षरित इंवायस जारी किया। Royal Fashion ने अगले दिन इसका भुगतान कर दिया। निम्न प्रश्न का उत्तर दें:

- परीक्षण करें क्या कानून के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर कर इंवायस को जारी किया गया।
- Royal Fashions के कर परामर्शदाता ने यह सुझाव देते हुए इंवायस पर आपत्ति की कि करयोग्य आपूर्ति के संबंध में वसूल कर की राशि को Aura Beauty Services Ltd. के द्वारा उगाह इंवायस में पृथक् रूप में दिखाना चाहिए। यद्यपि, Aura Beauty Services Pvt. Ltd. ने दलील दी कि इंवायस में कर किस्से को पृथक् रूप से दिखाने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। आपको Royal Fashion के कर

मरामर्शदाता के द्वारा उठाया आपत्ति की वैद्यता का परीक्षण करने की आवश्यकता है?

सुझाया उत्तर/संकेत

1. GST दायित्व की गणना

क्र. संख्या	विवरण	Sahil Traders (₹)	Jaggi Motors Ltd. (₹)
(i)	वस्तु की कीमत	20,000	15,000
(ii)	जोड़े: पैकिंग प्रभार (नोट-1)	600	
(iii)	जोड़े: कमीशन (नोट-1)	400	
(iv)	जोड़े: भार वेटमेंट प्रभार (नोट-1)	-	1,000
(v)	घटाये: त्वरित भुगतान के लिए छूट (नोट-2)	-	500
	करयोग्य आपूर्ति का मूल्य	21,000	15,500
	18% की दर से भुगतानयोग्य IGST (नोट-3)	3,780	
	9% की दर से भुगतानयोग्य CGST (नोट-4)		1,395
	9% की दर से भुगतानयोग्य SGST (नोट-4)		1,395

नोट:

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की प्राप्तकर्ता से वसूल कमीशन तथा पैकिंग सहित संयोजित व्यय आपूर्ति के मूल्य में सम्मिलित होता है। वेटमेंट प्रभार भी संयोजित व्यय है, अतएव आपूर्ति के मूल्य में सम्मिलित होता है [CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15]।
2. क्योंकि छूट को आपूर्ति के समय जाना जाता है यह CGST अधिनियम, 2017 की धारा 15 के संदर्भ में मूल्य से कटौतीयोग्य है।
3. क्योंकि Sahil Traders को की गयी आपूर्ति एक अन्तर्राज्य आपूर्ति है, IGST अधिनियम, 2017 की धारा 5 के संदर्भ में भुगतानयोग्य है।
4. क्योंकि Jaggi Motors Ltd. को की गयी आपूर्ति अंतर्राज्य आपूर्ति है, CGST तथा SGST उस पर भुगतानयोग्य है।

2. (i) भुगतानयोग्य शुद्ध GST की गणना

विवरण	CGST (₹)	SGST (₹)
वस्तु की अंतर्राज्य आपूर्ति पर भुगतानयोग्य GST [एक अंतर्राज्य आपूर्ति है, उस पर CGST तथा SGST भुगतानयोग्य है]	1,080 (₹12,000 × 9%)	1,080 (₹12,000 × 9%)
घटायें: वस्तु की अंतर्राज्य क्रय पर इनपुट कर क्रेडिट [वस्तु की अंतर्राज्य क्रय पर भुगतान CGST तथा SGST]	900 (₹10,000 × 9%)	900 (₹10,000 × 9%)
भुगतानयोग्य शुद्ध GST	180	180

(ii) गोविंद द्वारा भुगतानयोग्य शुद्ध GST की गणना

विवरण	₹
सेवा की अन्तर्राज्य आपूर्ति पर 18% की दर से IGST भुगतानयोग्य है [अन्तर्राज्य बिक्री होने के कारण, IGST अधिनियम, 2017 की धारा 5 के संदर्भ उस पर IGST भुगतानयोग्य है]	32,400 [1,80,000 × 18%]
घटा: वस्तु तथा सेवा की अंतर्राज्य प्राप्ति पर भुगतान 9% की दर से CGST का ITC [IGST की तरफ CGST का क्रास प्रयुक्तता]	9,000 [1,00,000 × 9%]
घटायें: वस्तु तथा सेवा की अंतर्राज्य प्राप्ति पर 9% की दर से भुगतान SGST का ITC [IGST की तरफ SGST का क्रास प्रयुक्तता]	<u>9,000</u> [1,00,000 × 9%]
नकद में भुगतानयोग्य शुद्ध GST	14,400

नोट:

1. CGST पहले CGST भुगतान की तरफ प्रयुक्त किया जायेगा तथा IGST की भुगतान की तरफ शेष राशि (यदि कोई है तो) का उपयोग किया जायेगा [CGST अधिनियम, 2017 की धारा 49]।
2. SGST को पहले SGST के भुगतान की तरफ प्रयुक्त किया जायेगा तथा शेष राशि यदि कोई है तो को IGST के भुगतान की तरफ प्रयुक्त की तरफ किया जा सकता है [CGST अधिनियम, 2017 की धारा 49]।

3. Shipra Traders के द्वारा भुगतानयोग्य शुद्ध GST की गणना

विवरण	9% की दर से GST	9% की दर से SGST
वस्तु की अंतर्राज्य आपूर्ति पर भुगतानयोग्य GST [अंतर्राज्य आपूर्ति पर उस पर CGST तथा SGST भुगतानयोग्य है]	855 [9,500 × 9%]	855 [9,500 × 9%]
घटा: वस्तु का अंतःराज्य क्रय पर ITC [अंतर्राज्य क्रय पर भुगतान CGST तथा SGST का ITC पूर्ण में उपलब्ध है चाहे यदि कुछ इनपुट स्टॉक में रखा है]	900 [10,000 × 9%]	900 [10,000 × 9%]
भुगतानयोग्य शुद्ध GST	शून्य	शून्य
इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आगे लाया गया इनपुट कर क्रेडिट	45	45

4. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 18 जिसे CGST नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाये जो प्रावधान करता है कि यदि पूँजी वस्तु अथवा प्लांट तथा मशीनरी जिस पर इनपुट कर क्रेडिट लिया को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बाहरी आपूर्ति की है, उसे निम्न में से उच्च की राशि का भुगतान करना चाहिए:

- (a) इस प्रकार की वस्तु पर इनपुट कर क्रेडिट को इस प्रकार की वस्तु के लिए इन्वायस को जारी करने की तिथि से एक वर्ष का त्रैमासिक अथवा उसके भाग का 5% द्वारा कम किया जायेगा। अर्थात् पूँजी वस्तु का शेष उपयोगी जीवन से संबंधित इनपुट कर क्रेडिट; अथवा
- (b) सौदा मूल्य पर कर।

तदनुसार, नीडल डिटेक्टिंग मशीन की आपूर्ति पर भुगतानयोग्य राशि की गणना निम्न में की जायेगी:

विवरण	₹	₹
मशीन पर लिया इनपुट कर क्रेडिट (₹ 10,00,000 × 18%)		1,80,000
घटायें: मशीन का उपयोग की अवधि के लिए 5% की दर से इनपुट कर क्रेडिट को उलटा जायेगा		
(i) वर्ष 2017-18 के लिए = (₹ 1,80,000 × 5%) × 3 त्रैमासिक	27,000 <u>27,000</u>	54,000
(ii) वर्ष 2018-19 के लिए = (₹ 1,80,000 × 5%) × 3 त्रैमासिक		
भुगतान के लिए आवश्यक राशि (A)		1,26,000
सौदे का मूल्य पर लगने वाला शुल्क (B) (₹ 7,50,000 ×		1,35,000

18%)		
(A) तथा (B) में अधिक मशीन के निपटारे की तरफ भुगतानयोग्य राशि		1,35,000

5. नवम्बर 20XX के माह के लिए भुगतानयोग्य GST की गणना

क्र. संख्या	विवरण	सेवा की आपूर्ति का समय	CGST (₹)	SGST (₹)	IGST (₹)	Interest (₹)
(i)	दिल्ली में एक एडवोकेट की सेवा से	06.09.20XX [नोट-1 तथा 3]	11,250	11,250	-	244 [नोट-4]
(ii)	निदेशक की सिटिंग फीस	20.11.20XX [नोट-2 तथा 3]	-	-	13,500	

नोट:

- एक व्यक्ति एडवोकेट द्वारा करयोग्य क्षेत्र में स्थित एक व्यापार इकाई को आपूर्ति सेवा एक अधिसूचित सेवा है जिस पर सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स प्रभार आधार पर कर भुगतानयोग्य है।
- उक्त कम्पनी को एक व्यक्ति के निदेशक द्वारा आपूर्ति सेवा एक अधिसूचित सेवा है जिस पर सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स प्रभार आधार पर कर भुगतानयोग्य है।
- CGST अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अनुसार, रिवर्स चार्ज के मामले में सेवा की आपूर्ति का समय निम्न में से पहले होगा:—
 - भुगतान की तिथि जैसा प्राप्तकर्ता की खाता की पुस्तकां में प्रविष्ट किया है अथवा तिथि जिस पर भुगतान को उसके बैंक खाता में डेबिट किया है को भी पहले है, अथवा
 - इंवायस को जारी करने की तिथि से 60 दिवस के एकदम पश्चात् की तिथि।
 आपूर्ति के समय का प्रावधान जैसा CGST अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान किया है IGST अधिनियम की धारा 20 के जरिये अन्तर्राज्य आपूर्ति के लिए लागू है।
 उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, दिये गये मामले में कर के भुगतान के लिए देय तिथि तथा आपूर्ति के समय का निर्धारण निम्न में किया जायेगा:
 - सेवा की आपूर्ति का समय 60 दिवस के एक दम पश्चात् की तिथि है क्योंकि इंवायस को जारी करने की तिथि अर्थात् 06.09.20XX है। कर के भुगतान के लिए देय तिथि सितम्बर 20XX की विवरणी के साथ 20.12.20XX है।

(ii) सेवा की आपूर्ति का समय 20.11.20XX है तथा कर के भुगतान की देय तिथि दिसम्बर 20XX की विवरणी के समय 20.12.20XX है।

4. मामला (i) में कर के भुगतान की देय तिथि सितम्बर 20XX की विवरणी के साथ 20.10.20XX है। यद्यपि, कर के लिए भुगतान 11.11.20XX को किया गया। इसलिए कर का भुगतान 22 दिन की देरी के साथ हुआ है।

कर के देरी से भुगतान के मामले में, दिवस जब से इस प्रकार देय कर का भुगतान करना था उस दिवस के पश्चात दिवस से आरंभ करके अदत्त रहने के लिए अवधि के लिए 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतानयोग्य है [CGST अधिनियम, 2017 की धारा 50 जिसे अधिसूचना संख्या 13/2017 CT दिनांक 28.06.2017 के साथ पढ़ा जाये। इसके मत में, दिये गये मामले में, भुगतानयोग्य ब्याज निम्न होगा:

भुगतानयोग्य ब्याज की राशि = ` 22,500 × 18% × 22/365 = ` 244 (राउंड ऑफ)

6. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 वर्णित करता है कि आपूर्ति के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए:

- (a) आपूर्ति वस्तु तथा/अथवा सेवा होनी चाहिए।
- (b) आपूर्ति प्रतिफल के लिए होनी चाहिए।
- (c) आपूर्ति व्यापार के दौरान अथवा बढ़ाने के दौरान होनी चाहिए।

आगे, CGST अधिनियम, 2017 की अनुसूची I आपूर्ति के रूप में मानी जाने वाली गतिविधियों का उदाहरण देता है, चाहे यदि बिना प्रतिफल के है। इस प्रकार की गतिविधि व्यापार सम्पत्ति का स्थायी अंतर अथवा निपटारा है जहां पर इस प्रकार की सम्पत्ति पर इनपुट कर क्रेडिट को प्राप्त किया अर्थात् इस प्रकार की गतिविधि को आपूर्ति के रूप में माना जाता है चाहे यह बिना प्रतिफल के है। उपरोक्त प्रावधान के मत में, Sahab Sales द्वारा अपने निवास पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्टॉक से स्थायी अंतरण चाहे बिना प्रतिफल के है आपूर्ति होगी।

यद्यपि, अकाश द्वारा Sahab Sales की AC की बिक्री CGST अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अन्तर्गत आपूर्ति के रूप में अहर्ता नहीं होगी चाहे यह प्रतिफल के लिए है क्योंकि यह व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं है।

7. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 22 के अनुसार (एक आपूर्तिकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत होने के लिए दायी है जहां पर वह वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की करयोग्य आपूर्ति करता है यदि एक वित्तीय वर्ष में उसकी टर्नओवर ` 20 लाख से अधिक है।

यद्यपि, इस प्रकार की करयोग्य आपूर्ति निर्दिष्ट विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणीपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, में से किसी में की जाती है, वह पंजीकृत होने के लिए दायी होगा यदि वित्तीय वर्ष में उसकी योग टर्नओवर ` 10 लाख से अधिक है।

CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(6) के अनुसार, योग टर्नओवर में:

- (i) सभी करयोग्य आपूर्ति,
 - (ii) विमुक्त आपूर्ति,
 - (iii) वस्तु तथा/अथवा सेवा का निर्यात, तथा
 - (iv) उसी PAN रखने वाले व्यक्तियों की अन्तर्राज्य आपूर्ति का योग मूल्य सम्मिलित है।
- उपरोक्त की गणना अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। आगे, योग टर्नओवर में केंद्रीय कर, राज्य कर केंद्र शासित का एकीकृत कर तथा उप कर सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा, आंतरिक आपूर्ति का मूल्य जिस पर रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत कर भुगतानयोग्य है को 'सकल टर्नओवर' की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता।

आगे, धारा 22 का स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि अभिव्यक्ति 'सकल टर्नओवर' में करयोग्य व्यक्ति के द्वारा की गयी आपूर्ति चाहे स्वयं के खाते में की है अथवा सभी प्रमुख की तरफ से की है, सम्मिलित है।

CGST अधिनियम, 2017 की धारा 9 प्रदान करता है कि CGST पांच पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोलियम कच्चा माल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस तथा एवियशन टर्बाइन ईंधन पर नहीं लगेगा। CGST अधिनियम, 2017 की धारा 2(47) के अनुसार विमुक्त आपूर्ति गैर-करयोग्य आपूर्ति सम्मिलित है।

इसलिए वर्णित चर्चा के परिदृश्य में, अप्रैल 20XX के माह के लिए योग टर्नओवर की गणना निम्न है:

क्र. संख्या	विवरण	राशि (₹) में
(i)	दिल्ली में मशीन ऑयल की आपूर्ति	2,00,000
(ii)	जोड़े: दिल्ली में डीजल की आपूर्ति	4,00,000
(iii)	जोड़े: दिल्ली में Pure Oils के एक एजेंट Forties Lubricants के जरिये आपूर्ति	-
(iv)	जोड़े: पंजाब में स्थित अपनी शाखा से Pure Oils के द्वारा की गयी आपूर्ति	<u>1,80,000</u>
	कुल टर्नओवर	7,80,000

क्योंकि कुल टर्नओवर ₹ 20 लाख से अधिक नहीं है, Pure Oils पंजीकृत होने के लिए दायी नहीं है।

यदि Pure Oil ने उपरोक्त आपूर्ति के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखा से ₹ 2,50,000 की राशि की मशीन ऑयल की आपूर्ति की, तब पंजीकरण की न्यूनतम सीमा ₹ 10 लाख तक घट जायेगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश निर्दिष्ट विशेष श्रेणी राज्य में से एक है।

उस मामले में कुल टर्नओवर ₹ 7,80,000 + ₹ 2,50,000 = ₹ 10,30,000 होगी। इसलिए, यदि Pure Oils हिमाचल प्रदेश में अपनी शाखा से ₹ 2,50,000 की राशि की मशीन आय की आपूर्ति करता है यह पंजीकृत होने के लिए दायी होगा।

8. (i) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 31 जिसे CGST नियम 2017 के साथ पढ़ा जाये, सेवाओं की करयोग्य आपूर्ति के मामले में इंवायस को सेवा के प्रावधान से पहले अथवा पश्चात् में परन्तु सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिवस (बीमाकर्ता/बैंकिंग कम्पनी अथवा NBFC सहित वित्तीय संस्थान के मामले में 45 दिवस) के अंदर जारी करना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान के मत में वर्तमान मामले में, कर इंवायस को सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित समय सीमा में अर्थात् 03.02.20XX तक जारी किया जाना चाहिए। यद्यपि इंवायस को 10.02.20XX जारी किया गया।

इस प्रकार के मामले में, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अनुसार आपूर्ति का समय 04.01.20XX अर्थात् निम्न में से पहले होगी:

- (a) सेवा के प्रावधान की तिथि (04.01.20XX)
 - (b) भुगतान की प्राप्ति की तिथि (11.02.20XX)
- (ii) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 31 जिसे CGST नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाये प्रदान करता है कि कर इंवायस में निम्न विवरण सम्मिलित होगा:
- (a) वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति का कुल मूल्य;
 - (b) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश अथवा उपकर);
 - (c) करयोग्य वस्तु अथवा सेवा के संबंध में वसूल कर की राशि (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित कर अथवा उपकर)।

Royal Fashions के कर सलाहकार द्वारा उठायी गई आपत्ति कि करयोग्य आपूर्ति के संबंध में वसूल कर की राशि को Aura Beauty Services Ltd. द्वारा इंवायस में पृथक् रूप से दिखाना चाहिए कानून में वैध है। वर्तमान मामले में कर राशि को इंवायस में पृथक् रूप से दिखाया नहीं गया है।

नोट: GST कानून नवजात अवस्था में है तथा इसमें बार-बार बदलाव हो रहे हैं। यद्यपि FAQ अथवा अन्यथा के जरिये पिछले छह माह में कई स्पष्टीकरण को जारी किए गए हैं। इसके कई प्रावधान पर बदलती व्याख्या के कारण कई मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसलिए लिये गये मत पर निर्भर उपरोक्त प्रश्न के लिए कई वैकल्पिक उत्तर संभव हैं।
